दिनांक 29.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 55 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

नववर्ष के अवसर पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा दिये गये दिशा निर्देश

नववर्ष के अवसर पर युवा वर्ग द्वारा प्रायः होटलों, क्लबों, रेस्टोरेंटों एवं अन्य मनोरंजन स्थलों पर समूहों में एकत्र होकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे अवसरों पर मादक पदार्थों एवं मदिरा के सेवन के कारण आपसी विवाद, मारपीट एवं कानून-व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियाँ उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।

इसके अतिरिक्त, नववर्ष के दौरान युवाओं द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से मोटरसाइकिलों/वाहनों का संचालन किए जाने से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर नववर्ष के स्वागत एवं मिलन समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिनमें महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं बच्चों की पर्याप्त उपस्थिति रहती है।

उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत जन-सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुचारू बनाए रखने हेतु समुचित एवं प्रभावी पुलिस व्यवस्थापन किया जाना अत्यावश्यक है।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशों के क्रम में **श्री अमिताभ यश अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था उ0प्र0** द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को नव वर्ष-2026 के अवसर पर सृदृढ़ सुरक्षा-व्यवस्था एवं व्यापक पुलिस प्रबंध आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिये गयेः-

- नववर्ष से सम्बंधित आयोजनों को सूचीबद्ध करते हुये हाटस्पाट चिन्हित कर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल की डियूटी लगायी जाय। आयोजकों के साथ गोष्ठी कर ली जाय, जिसमें स्थानीय मजिस्ट्रेट तथा अन्य विभागों के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाये।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग ब्रेथ एनेलाइजर द्वारा की जाय तथा जो व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ पाया जाय उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाय। विशेष रूप से होटलों, क्लबों व मनोरंजन गृहों तथा ऐसे स्थान जहाँ नववर्ष के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हों, वहाँ पर भी निकास बिन्दुओं पर ब्रेथ इनेलाइजर का प्रयोग कर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग अवश्य कराई जाये।
- कमिश्नरेट/जनपद के संवेदनशील स्थलों व आयोजन स्थलों, होटलों, कल्बों व मनोरंजन गृहों तथा ऐसे स्थान जहाँ नववर्ष के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित होते है, उनके आस-पास तथा प्रमुख बाजारों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने नेतृत्व में अधिक से अधिक पुलिस/पीएसी बल के साथ दिनांक 31-

12-2025 के सायं से फ्लैगमार्च का प्रभावी आयोजन किया जाय तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में नियमित फुट पेट्रोलिंग की जाये।

- नववर्ष के अवसर पर समस्त आयोजन स्थलों, होटलों, क्लबों, मनोरंजन गृहों, एव विभिन्न सार्वजनिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर समुचित पुलिस प्रबन्ध कर विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।
- नववर्ष के अवसर पर विभिन्न समुदाय के धार्मिक स्थलों/मन्दिरों पर दर्शन हेतु भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। समस्त थर्मस्थलों के आस-पास यातायात प्रबन्धन एवं सुरक्षा के दृष्टिगत प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- महिलाओं के आवागमन के मार्गो पर समुचित पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाय। यूपी-112 के कर्मियों को भी समुचित ब्रीफ करते हुये उनका प्रभावी व्यवस्थापन किया जाये। महिलाओं से छेड़छाड़, लूट व चेन स्नैचिंग की सम्भावित घटनाओं की रोकथाम हेतु सादे वस्त्रों में महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाये।
- कमिश्नरेट/जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के आस-पास प्रातःकालीन पोस्टर चेकिंग पार्टी निकाल कर सघन चेकिंग की जाये। इस दौरान शरारती/असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाये।
- वाहनों की पार्किंग/ट्रैफिक डायवर्जन प्वाइंट/होल्डिंग एरिया आदि चिन्हित कर समुचित पुलिस प्रबन्ध किया जाये, ताकि निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया जा सके तथा जाम आदि की समस्या न उत्पन्न होने पाये। डायवर्जन प्वाइंट एवं भीड़ को नियंत्रित करने हेतु मोबाइल बैरियर की व्यवस्था की जाये।
- नववर्ष के अवसर पर आपराधिक/अराजक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा आवश्यकतानुरुप उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- वर्तमान परिस्थितियों में आतंकवादी व विघटनकारी तत्वों द्वारा भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट किये जाने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। विभिन्न संभावनाओं की परिकल्पना करते हुए एक एक्शन-प्लान तैयार कर उसका पूर्वाभ्यास हेत निर्देशित किया गया है।
- ड्रोन कैमरा से नियमित चेकिंग/निगरानी सुनिश्चित की जाये। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त आयोजन स्थल/आवागमन के मार्ग पर स्थित सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील करा लिया जाये।
- सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाये। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे-फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित होने पर संज्ञान में आते ही उसे ब्लॉक कराते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध अवाश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये तथा तत्काल अफवाहों का खण्डन किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।